लॉर्ड कर्ज़न (1899-1905)

लॉर्ड कर्ज़न भारत के सबसे महान तथा अत्यन्त प्रभावशाली गवर्नर जनरलों में से था। भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले उसने भारत उप-मन्त्री के रूप में कार्य किया। उसने छः महत्वपूर्ण वर्ष भारत में व्यतीत किए।

लॉर्ड कर्ज़न ने बहुत से क्षेत्रों में बहुत सुधार किए।

लॉर्ड कर्ज़न के गवर्नर बनने से पूर्व लॉर्ड एलगिन II (1894-99) सत्ता में थे। इनके कार्यकाल में अकाल, प्लेग तथा सीमान्त युद्ध हुए। लॉर्ड कर्ज़न ने स्वयं संकट-ग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अकाल सहायता के सम्बन्ध में अधिक मितव्ययिता से काम लिया गया तथा करों और भूमि के लगान के सम्बन्ध में कृषकों को रियायतें देने में असफल रही। अतः मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति हुई, जिसका काम अकाल सहायता की व्यवस्था को योग्यतापूर्ण चलाने के सम्बन्ध में सिफारिशें करना था। आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किये। उसने अनैतिकता को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार को नैतिक युद्ध-कौशल की नीति का अनुसरण करना था। आयोग ने गैर-सरकारी सहायता के लाभों पर भी बल दिया। उसने रेलों, कृषि बैंकों तथा सिंचाई के कार्यों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की सिफारिश की। आयोग की सिफारिशों के आधार पर अकाल-संहिताओं में संशोधन किए गए।

कृषि —

लार्ड कर्जन ने किसानों की दशा में सुधारने के सम्बन्ध में बहुत कार्य किए। 1900 ई० में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम स्वीकृत हुआ, परिणामस्वरूप अधिकृत जमींदारों की भूमि गैर-जमींदारों को सरकार की स्वीकृति के बिना प्राप्त न हो सकती थी। कृषि बैंक और सहकारी समितियों की स्थापना इसलिए की गई ताकि कृषकों को साहूकारों के अत्याचारों से बचाया जा सके। 1904 ई० में सहकारी ऋण समिति अधिनियम स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम के द्वारा नागरिक तथा देहाती क्षेत्र में सहकारी समितियों के निर्माण का सुझाव दिया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देहाती ऋण पद्धति की सहायता देना था।

लार्ड कर्जन ने भारत में कृषि के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को लागू करने का प्रयत्न किया। 1901 में लार्ड कर्जन ने कृषि के इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। उसने बंगाल में कृषि अनुसंधान संस्था भी स्थापित की ताकि कृषि की मौलिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान की जाए।

1901 ई० में भारत में सिंचाई की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति हुई। सर कॉलिन स्काट मोनक्रीफ को इसके प्रधान के रूप में नियुक्त किया गया। आयोग ने 1903 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लार्ड कर्जन ने आयोग की बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब की नहरों में सुधार हुआ।

रेल —

लार्ड कर्जन से पूर्व रेलवे व्यवस्था की दो पद्धतियाँ थी। कुछ रेलें कंपनियों की व्यवस्था में थी तथा कुछ का प्रबन्ध भारत सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करती थी। लार्ड कर्जन ने भारत में रेलों की पद्धति के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए सर थॉमस राबर्टसन को नियुक्त किया। 1903 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि रेलों का कार्य पहले के समान न होकर व्यापारिक कार्यों के रूप में होना चाहिए। लार्ड कर्जन ने 1905 में उस रेलवे शाखा को तोड़ दिया जहाँ से सार्वजनिक कार्य होते थे। रेलों के कार्य को तीन सदस्यों वाले रेलवे बोर्ड को सुपुर्द कर दिया। कई नई रेलवे लाइन खोली गई।

पुलिस के सुधार —

जब लार्ड कर्जन ने कार्यभार संभाला पुलिस पद्धति आशाओं के अनुरूप नहीं थी। 1902 में कर्जन ने फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की कि वह देश की पुलिस व्यवस्था की जाँच करे। आयोग ने सिफारिश की कि ~~[illegible]~~

(1) निम्नली श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में पदोन्नति के स्थान पर सीधी नियुक्ति की जाए।

(2) एक सिपाही का कम से कम वेतन इतना होना चाहिए जिससे उसको निर्वाह योग्य मजदूरी मिल सके।

(3) आयोग ने प्रान्तीय पुलिस शक्ति में वृद्धि तथा पुलिस कार्य के लिए वर्तमान और प्राप्त ग्रामीण सूत्रों को नौकरी पर लगाने की सिफारिश की।

4) सिपाहियों तथा पुलिस के आफिसरों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई।

5) आयोग ने सिफारिश की कि अपराधों की छान-बीन घटना स्थल पर ही की जाए। पुलिस कार्य का महत्व आँकड़ों से नहीं, अपितु स्थानीय निरीक्षण तथा युद्ध-बोध से आँका जाना था। प्रत्येक प्रांत में एक खुफिया विभाग की स्थापना होनी थी तथा इसे केन्द्रीय विभाग के आधीन कार्य करना था तथा इसका सर्वोच्च अधिकारी फौजदारी विभाग का निर्देशक होना था। भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली।

फौजी सुधार (Military Reforms)

फौजी क्षेत्र में भी कुछ सुधार किये गए। 1900 में स्थानीय पैदल सेना को पुनः संगठित किया गया तथा चार कुमुकी कंपनियों को के फौजी दस्ते संगठित किए गए। लार्ड किचनर के नेतृत्व में देशी फौजों को पुनः शस्त्र बाँटे गए। 1901 में राजाओं तथा प्रतिष्ठित परिवारों के युवकों के लिए सम्मिलित इम्पीरियल कैडेट कोर (I.C.C) आरम्भ की गई। भारतीय फौज की सेवाएँ विदेशों में भी प्रयुक्त की गई।

1871 में तटीय रक्षा के लिए एक समुद्री रक्षा फौज को जारी किया गया।

लार्ड कर्जन ने एक अलग फौजी विभाग की स्थापना का विरोध किया, जिसका अध्यक्ष मुख्य सेनापति हो तथा जिसे फौजी व्यवस्था का समस्त कार्य हस्तांतरित कर दिया जाए। एक समझौते का प्रस्ताव रखा गया। यह यह था

कि मुख्य सेनापति के नियंत्रण में समाहृत शासन- व्यवस्था के केवल फौजी विभाग रहने का सुझाव दिया गया तथा उसे ही वायसराय की कार्यकारिणी में फौजी मामलों का एक मात्र प्रतिनिधि मानकर बोलने का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव किया गया। लेकिन लार्ड कर्जन ने इस समाधान के फार्मूले को स्वीकार नहीं किया तथा उसने त्यागपत्र दे दिया।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 –

लार्ड कर्जन ने देश की शिक्षा- पद्धति को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया तथा इस सम्मेलन में सरकार के बड़े से बड़े शिक्षाधिकारी तथा मुख्य विश्वविद्यालयों के आधिकृत प्रतिनिधि नियंत्रित किए गए। इस सम्मेलन के पश्चात एक विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की अध्यक्षता सर थामस रैले ने की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तथा तदनुसार एक विश्वविद्यालय बिल बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को उन्नत करना है। सीनेट का पुनः संगठन, सिंडीकेटों के अधिकारों का स्पष्टीकरण जैसी बातों पर विशेष बल दिया गया। अतः इस अधिनियम ने भारतीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण रूप से अधिकृत रूप दे दिया।

नौकरशाही ढांचे में सुधार –

लार्ड कर्जन ने सभी विभागों को प्रेरित किया कि वे निजी परामर्श के द्वारा अपने कार्य को निपटा लिया करें।

कलकत्ता निगम (कार्पोरेशन) The Calcutta Corporation –

कलकत्ता नगर के कार्यों का

वास्तविक नियंत्रण कार्यकारिणी समिति को हस्तांतरित कर दिया गया, जो कि नियमित तथा शैली में अधिकांश ब्रिटिश थी।

प्रेजीडेंसी गवर्नरों का पद -

लॉर्ड कर्जन प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्रीकरण की नीति में विश्वास करता था। वह अधिकारियों की तनिक सी स्वतंत्रता को भी सहन नहीं कर सकता था चाहे वे अधिकारी कितने ही ऊँचे तथा प्रतिष्ठित हों।

अधिकार/प्रभुत्वपूर्ण नीति -

लॉर्ड कर्जन का विश्वास था कि भारतीय इन सब गुणों से हीन हैं, जो अंग्रेजों को अच्छा प्रशासक बनाते थे।

लॉर्ड कर्जन ने स्थानीय स्वराज्य की योजनाओं को कमजोर तथा निरुत्साहित कर दिया। इसने सरकारी नौकरी में खुले मुकाबले की परीक्षाओं के स्थान पर मनोनीत करने की पद्धति को बदल दिया तथा उसने ऊँचे सार्वजनिक पदों के लिए एक प्रकार की जातिगत अयोग्यता की घोषणा कर दी। इस सब का उद्देश्य प्रशासन कार्य को अपने समस्त अधिकारों तथा उपायों से सरकारी रूप देना था।

बंगाल का बँटवारा, 1905 -

लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बाँट दिया। पूर्वी बंगाल तथा असम का एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें पुराने बंगाल के 15 जिलों को, असम तथा चिटगांव को मिला दिया गया। इस नए प्रांत का क्षेत्रफल 106,000 वर्गमील तथा जनसंख्या 310 लाख के करीब थी।

विभाजन की घोषणा ने जन आंदोलन

जागृत कर दी। बंगाल के निवासियों ने इस आंदोलन को अपनी राष्ट्रीयता के लिए चुनौती के रूप में समझा तथा एक प्रबल आंदोलन भड़क उठा। कर्जन ने लोगों के द्वारा चलाए गए आंदोलन के आगे झुकने से इंकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि समय के बीतने के साथ-साथ आंदोलन भी क्रमशः बढ़ता गया। यह एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, जिसने सब भारतीयों को भड़का दिया। 1911 में विभाजन को रद्द करना पड़ा।

लार्ड कर्जन का मूल्यांकन –

लार्ड कर्जन एक अत्यंत प्रतिभाशाली, योग्य तथा परिश्रमी वायसराय था तथा उसने सम्पूर्ण प्रशासनिक ढाँचे को योग्यता के साँचे में ढाला, किंतु वह एक महान साम्राज्यवादी था तथा वह सदैव प्रयत्नशील रहता था कि किसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा तथा प्रभाव को फैलाया जाए। उसने कभी स्वतंत्र भारत के सम्बन्ध में विचार अथवा कल्पना तक न की।

इसके बावजूद उसके द्वारा किए गए कुछ सुधारों का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। खानों का अधिनियम तथा असम का श्रमिक अधिनियम श्रमिकों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए। 1899 में मुद्रा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया तथा 16 पैन्स वाले रुपये तथा सोने के विनिमय स्तर की स्थापना की गई। उसने पुरातत्व विभाग के लिए एक मुख्य निदेशक की नियुक्ति की तथा 1904 में प्राचीन-भवन-सुरक्षा अधिनियम को स्वीकार किया, जिसके अधीन सरकार ने प्राचीन ऐतिहासिक भवनों को अपनी सुरक्षा में लिया। लार्ड कर्जन

PAGE NO.:

DATE: / /

ने खानों के लिए भी एक मुख्य निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, कृषि के मुख्य निरीक्षक, सिंचाई के मुख्य निरीक्षक तथा कृषिया विभाग के मुख्य निदेशक के पदों की नियुक्ति की व्यवस्था की।